पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1207

दिनांक 21.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

1-कार्यवाही विवरण-

दिनाँक 21.05.2025 को जांच प्रार्थना पत्र वादिनी शोभा रानी पत्नी सुरेश यादव निवासी सेखना घाट पोस्ट बकवास थाना सुशांत गोल सिटी जनपद लखनऊ के जांच तत्पश्चात जांच के क्रम मे अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 21.05.2025 को उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के देखभाल चौकी क्षेत्र एचसीएल/जांच प्रार्थना पत्र वादिनी शोभा रानी पत्नी सुरेश यादव निवासी सेखना घाट पोस्ट बकवास थाना सुशांत गोल सिटी जनपद लखनऊ के जांच के क्रम में ग्राम चौरासी महमूदपुर आया जहां वादिनी शोभा रानी और नामजद वीके उर्फ विक्का उपरोक्त को तलब कर पूछताछ किया जाने लगा तो विपक्षी वीके उर्फ विक्का उपरोक्त वादिनी शोभा उपरोक्त से प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात को लेकर वाद विवाद करने तेज आवाज में उग्र होकर आमादा फौजदारी होने लगा हम पुलिस बल द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया जिस पर वादिनी शोभा उपरोक्त शांत हो गई किन्तु वीके उर्फ विक्का उपरोक्त किसी की बात को मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा जिससे मौके पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी। मौके पर संज्ञेय/गम्भीर अपराध रोकने और शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर उसे रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय न होने के कारण वीके उर्फ विक्का उपरोक्त को मौके पर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1.वीके उर्फ विक्का यादव पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम चौरासी महमूदपुर थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1208

दिनांक 21.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

1-कार्यवाही विवरण-

दिनाँक 21.05.2025 कोसूचना प्राप्त हुई कि अमारा फार्म हाउस के पास दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे है इस सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

02- संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 21.05.2025 को उ0नि0 महेश सिंह मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चौकी क्षेत्र अहिमामऊ में मामूर था कि सूचना मिली कि अमारा फार्म हाउस के पास दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे है इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराहियान के मौके पर पहुँचा तो देखा कि हरिप्रकाश शुक्ला उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/25 धारा- 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के वादी के परिजनों से उक्त अभियोग अपने भाई व अन्य परिजनों के विरुद्ध लिखा दिये जाने की बात को लेकर आक्रोशित होते हुए वाद विवाद कर रहा है। मौके पर पुलिस बल ने दोनो पक्षो को समझाने बुझाने का प्रयास किया तो वादी मुकदमा के परिजन शान्त हो गए परन्तु हरिप्रकाश शुक्ला उपरोक्त किसी की बात को मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल हरिप्रकाश शुक्ला उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-हरिप्रकाश शुक्ला पुत्र श्रीनाथ शुक्ला नि0 मूल निवासी ग्राम कोड्डा थाना जाफराबाद जनपद जौनपुर उम्र -45 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 182/25 धारा 305ए बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

04-अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा बाल अपचारियों को साथ में लेकर रात्रि में मौका पाकर घरों में चोरी करने की घटना को अंजाम देते हैं। तथा चोरी करने के बाद मौके से फरार हो जाते है।

05- बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद पूजा की थाल
- 01 अदद लोटा पूजा का
- 01 अदद एलसीडी टीवी (एलजी कम्पनी)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1203

दिनांक 21.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- घर में घुसकर चोरी करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार व 02 बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।
- कब्जे से चोरी का माल बरामद।
- अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अन्दर घटना का किया गया सफल अनावरण।

01-सक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.05.25 को वादी मुकदमा श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 देवस्वरूप राम नि0 बसंतखेडा थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर में उपस्थित होकर दिनांक 16.05.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से LCD टी0वी0 (LG), पूजा के वर्तन चोरी होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 182/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री अंकित बालियान को सुपुर्द की गयी।

माल मुल्जिमान की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीम गठन कर तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 21.05.2025 को मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1.शक्तिमान सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी गिन्दन खेडा पुरानी पुलिस चौकी के पास नादरगंज थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष 2. विशाल सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी साई सुरक्षा नगर अमौसी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 3. सूर्य प्रताप गौतम पुत्र लल्लन गौतम निवासी मोहल्ला भीमनगर ग्राम अमौसी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र -18 वर्ष 4. प्रधुम्न सिंह पुत्र शारदा सिंह निवासी गिन्दन खेडा पुरानी पुलिस चौकी के पास नादरगंज थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष व 02 नफर बाल अपचारी को मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. शक्तिमान सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी गिन्दन खेडा पुरानी पुलिस चौकी के पास नादरगंज थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष
2. विशाल सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी साई सुरक्षा नगर अमौसी थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
3. सूर्य प्रताप गौतम पुत्र लल्लन गौतम निवासी मोहल्ला भीमनगर ग्राम अमौसी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र -18 वर्ष
4. प्रधुम्न सिंह पुत्र शारदा सिंह निवासी गिन्दन खेडा पुरानी पुलिस चौकी के पास नादरगंज थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष
5. 02 नफर बाल अपचारी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1197
दिनांक – 21.05.2025

जोन- दक्षिणी / थाना-निगोहां

- **01 नफर वारण्टी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 21.05.2025 को उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 अरविन्द कुमार पटेल के मा0 न्यायालय द्वारा जारी एनबीडल्यू वाद सं0 348/22 अ0सं0 268/21 धारा 2/3 यूपी जी एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी सत्रकान्त उर्फ सत्यकान्त उर्फ शशिकान्त पुत्र सुरेश कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम दखिना शेखपुर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष की तलाश में मामूर होकर उपरोक्त वारण्टी के घर पर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर दविश दी गयी उपरोक्त वारण्टी गांव के बाहर आम के बाग में मौजूद मिला। जिसे वारण्ट उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

03 गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

01. सत्रकान्त उर्फ सत्यकान्त उर्फ शशिकान्त पुत्र सुरेश कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम दखिना शेखपुर थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष (गाड़ी चलाना)

04. आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 268/21 धारा 2/3 यूपी जी एक्ट थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
2.मु0अ0सं0 51/21 धारा 379/411 भादवि थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
3.मु0अ0सं0 49/21 धारा 379/411 भादवि थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
4.मु0अ0सं0 48/21 धारा 379/411 भादवि थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
5.मु0अ0सं0 47/21 धारा 379/411 भादवि थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

05.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
2. का0 अरविन्द कुमार पटेल थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 164/25 धारा 181/105/125(a)/125(b)/324(4)बी0एन0एस0पंजीकृत किया गया था। बस का चालक व परिचालक(कन्डक्टर) मौके से फरार चल रहे थे। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था । **दिनांक 18.05.25 को मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बस ड्राइवर शंकर यादवको बिहार से गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 21/05/2025 को हरिकंशगढ़ी कट के पास से बस परिचालक(कंडक्टर) को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।**

03-गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेश सिंह पुत्र स्व0 राम विलास सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम कुशहर, थाना केसरिया जनपद मोतिहारी बिहार व्यवसाय- बस परिचालक

04- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गुड्डू प्रसाद
2. का0 सोहित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1204
दिनांक- 21.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **मोहनलालगंज बस आगजनी मामले में बस कन्डक्टर गिरफ्तार।**
- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम की सफलता ।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक के गठित टीम द्वारा बस में आग लगने वाली घटना से सम्बन्धित बस कन्डक्टर गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2025 को वादी रामबालक पुत्र राजकुमार महतो ग्राम गमवारा थाना रूणी सैहपूर जिला सीतामरी बिहार द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 14/05/2025 को अपनी पत्नी गुड्डी कुमारी व पुत्र देवराज उम्र 04 वर्ष व पुत्री साक्षी कुमारी उम्र 02 वर्ष के साथ ट्रेवल पोइन्ट बस न0 UP 17 AT 6372 से समय 04.00 बजे मुजफ्फरपुर से करनाल जा रहा था।

बस में बस ड्राइवर, कनडक्टर, और बस मालिक कि लापरवाही से आज दिनांक 15.05/2025 को समय 05.00 बजे के करीब किसान पंथ में हरिकंशगढ़ी अन्डर पास के ऊपर लखनऊ में बस में आग लग गई जिसके कारण मेरा लड़का देवराज व लड़की साक्षी कुमारी बुरी तरीके से जल गई तथा मौके पर मृत्यु हो गई।

उसी बस में अशोक कुमार महतो पुत्र जयमंगल महतो निवासी मध्यीपुर थाना हस्नपुर जिला समस्तीपुर अपनी पत्नी लखी देवी उम्र 60 वर्ष और पुत्री सोनी कुमारी पत्नी पंकज उम्र 26 वर्ष भी यात्रा कर रहे थे। जिसमें लखी देवी व सोनी कुमारी जल के मर गई तथा एक अज्ञात व्यक्ति बुरी तरह जल के मर गये है। उक्त बस में करीब 100 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे तथा हम सभी का सारा समान जल के नष्ट हो गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1206
दिनांक-21.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री कराने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2025 को शिकायतकर्ता रईस मोहम्मद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम-बक्कास कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि प्रार्थी गाटा संख्या-201/0.089 हे0 व 202/0.101 हे0 का मालिक है उक्त भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे व दखल में है, जिस पर प्रार्थी का बटाईदार रमेश यादव खेती बाड़ी करता है। दिनांक -28.11.2024 को जब प्रार्थी का बटाईदार रमेश यादव उक्त भूमि पर धान की कटाई कर रहा था तो वहाँ पर एक गार्ड नाम पता अज्ञात आया और उसने कहा कि यह जमीन कम्पनी की है बटाईदार रमेश यादव को प्रार्थी को सूचना दी प्रार्थी मौके पर पहुचा तो गार्ड ने प्रार्थी को भी बताया कि उक्त जमीन कम्पनी ने खरीद लिया है अब इस पर खेती मत करना इस पर प्रार्थी ने गार्ड को बताया उक्त भूमि जब बेची ही नही गयी तो कम्पनी की कैसी हो गयी, लेकिन प्रार्थी को शंका होने के बाद प्रार्थी तहसील मोहनलालगंज गया और वहाँ जाँच की तो उसे ज्ञात हुआ कि दिनांक- 16.04.2024 को उपनिबन्धक मोहनलालगंज, लखनऊ के समक्ष किसी जालसाज प्रार्थी के स्थान पर खड़े होकर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर कथित विकास सिंह पुत्र एम0पी0 सिंह निवासी-3/308 विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को विक्रय मूल्य- 3,50,000/ प्राप्त कर कर दिया तथा एक माह पश्चात कथित विकास सिंह द्वारा उक्त भूमि को बिना कब्जा प्राप्त किए ही कथित कम्पनी हारिब स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा नीरज पाण्डेय को दिनांक- 16.05.2024 को विक्रय कर दी गयी है।

इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ में मु0अ0स0 59/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त रईश पुत्र मुल्लन निवासी ग्राम धमेडी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 55 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसके द्वारा फर्जी क्रेता बनकर जमीन विक्रय किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। आज दिनांक 21.05.2025 को अभियुक्त रईश पुत्र मुल्लन उपरोक्त को तहसील के पास थाना क्षेत्र मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रईश पुत्र मुल्लन निवासी ग्राम धमेडी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 55 वर्ष व्यवसाय- खेती

03-आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 59/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बीर बहादुर दूबे
2. का0 विकास जायसवाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1205
दिनांक- 21.05.02025

जोन-उत्तरी / थाना-मलिहाबाद

- **शान्ति भंग करने वाले 02 नफर अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.05.2025 को दो व्यक्तियों के मध्य लडाई झगडा व विवाद की सूचना पर पुलिस टीम ग्रामशेरपुर भौसा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ पहुँची तो देखा की दो सगे भाई जो परिवारिक बातो को लेकर विवाद व शन्ति भंग कर रहे है, दोनो पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया तो और उत्तेजित हो गये शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दोनो पक्षों के प्रथम पक्ष के अभियुक्त1. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 राजाराम रावत उम्र करीब 45 वर्ष व द्वितीय पक्ष के अभियुक्त सरोज पुत्र स्व0 राजाराम रावत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर भौसा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आज दिनांक 21.05.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गयाअभि0 उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

दोनो पक्षो द्वारा पारिवारिक बातो को लेकर विवाद करना व शान्ति व्यवस्था भंग करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1.श्रवण कुमार पुत्र स्व0 राजाराम रावत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर भौसा थाना मलिहाबाद लखनऊ(व्यवसाय-मेहनत मजदूरी) ।

2.सरोज पुत्र स्व0 राजाराम रावत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर भौसा थाना मलिहाबाद लखनऊ(व्यवसाय-मेहनत मजदूरी) ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2. का0 विकास मलिक

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1200
दिनांक–21.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **दो पहिया वाहन चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले 12 साल से वांछित/फरार चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.11.2013 फर्द/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 551/2013 धारा 379/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि बनाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र केशवराम आदि के पंजीकृत हुआ।

आज दिनांक 21.05.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति एवं तलाश वांछित/वारण्टी में चौकी क्षेत्र घैला में मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिस अभि0 की तलाश आप कर रहे हैं वह इस समय भिटौली ओवर ब्रिज के नीचे खडा है कहीं जाने की फिराक में है मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को हिकमत अमली से पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अजय पुत्र स्व0 गोकरन निवासी करियापुरवा बिसेंडी थाना मानपुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व मु0अ0सं0 551/2013 धारा 379/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तगण पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा अन्य अभियुक्तों की तलाश पतारसी सुरागरसी जारी है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देशय

अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मोटर साइकिल चोरी कर, उसका नम्बर प्लेट बदल कर बेच देना एवं अपना खर्चा चलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अजय पुत्र स्व0 गोकरन निवासी करियापुरवा बिसेंडी थाना मानपुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 32 वर्ष (व्यवसाय –खेती व मछली पालन)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार साहू
2. का0 ऋषि यादव

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-234/2025 धारा 305/317(2)/331(4) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सचिन कुमार उर्फ लवकुश कुमार पुत्र बैजू कुमार निवासी जरवल रोड छतौनी चौराहा ग्राम कोरीनपुरवा थाना बम्भुआ जनपद गोण्डा हाल पता चाय की दुकान (श्रीराम मैरिज हाल) लक्ष्मी टी स्टाल थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अल्ताफ खान पुत्र विराज निवासी 532क/173 पाण्डेय टोला थाना अलीगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।
3. नुरुद्दीन उर्फ समीर पुत्र मो0 शमी निवासी ग्राम अलहिया पुर थाना कैसरगंज जनपद बहराईच व हालपता डण्डईया थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

06-गिरफ्तारी स्थल एवं दिनांक-

- स्थान- कनौसी पुलिया से डीआरएम पुलिया कि ओर जाने वाली रोड।
- दिनांक-21.05.2025।

07-बरामदगी–

- 01 अदद चैन पीली धातु
- 01 अदद अंगूठी सफेद धातु
- 02 अदद झुमका सीसा के नग जड़े,
- 02 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु
- 2970/- रुपये नगद
- 03 अदद मोबाईल
- 01 अदद आधार कार्ड,
- 02 अदद यूको बैंक डेबिट कार्ड
- 01 अदद HDFC बैंक डेबिट कार्ड
- 01 अदद स्कूटी एक्टिवा नं0- UP32JF6517,

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1201

दिनांक-21.05.2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **बंद घर की रैकी कर चोरी करने वाला 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की ज्वैलरी,नगदी,03 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद स्कूटी बरामद।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा घरों की रैकी कर चोरी करने वाले 03 नफर शातिर अभियुक्त को आज दिनांक 21.05.2025 को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2025 को श्री शरद जैन पुत्र स्व0 रामनिवास जैन निवासी A- 2 सिन्धु नगर कानपुर रोड लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-234/2025 धारा 305 भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ, बनाम- अज्ञात व्यक्ति, बावत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के मकान की दीवाल फांद कर अंदर रखे प्यून संतोष का फोन मो0नं0 9335196445 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया । मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी । जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 03 नफर शातिर अभियुक्तगण को **कनौसी पुलिया से डीआरएम पुलिया कि ओर जाने वाली रोड** से आज दिनांक 21.05.2025 को गिरफ्तार किया गया।

03-मॉड्यूस ऑपरेंडी:-

अभियुक्तगण आपस में सभी मित्र हैं एक दूसरे के परिचित हैं। अभि0 सचिन कुछ वर्ष पूर्व वादी मुकदमा के घर में साफ सफाई का कार्य करता था, जिसे घर के बार में पूर्ण जानकारी थी, अपने साथियों के साथ दिनांक 11.05.2025 को रैकी कर घर में चोरी किया, बरामद चोरी की सम्पत्ति को आपस में बांट लिए।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सचिन ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने साथी अल्ताफ एवं नुरुद्दीन उर्फ समीर के साथ दिनांक 11.05.2025 को सिंधु नगर में एक मकान की दीवार फांदकर चोरी किया था। चोरी करने में गहने व कैश 10000/- रुपये व मोबाईल तथा डेबिट कार्ड मिले थे। प्राप्त रूपयों को हम सभी ने आपस में बराबर-2 बांट लिया था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1196
दिनांक-21.05.2025

जोन-पूर्वी / थाना- चिनहट

- **वादिनी की नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-226/25 धारा-137(2)/87 बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ से संबन्धित 01 नफर वाछिंत अभियुक्त 01. हिमांशू पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मलिकापुर मजरा पटना थाना देवा जिला बाराबंकी हालपता ग्राम सेमरा थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष लगभग को राष्ट्रीय़ ग्रामौघोग इण्टर कालेज देवा रोड के थाना चिनहट लखनऊ से दिनांक 21.05.2025 अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 12.05.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा वादिनी की नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0स0 226/25 धारा-87/137(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ बनाम- 01. हिमांशू पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मलिकापुर मजरा पटना थाना देवा जिला बाराबंकी हालपता ग्राम सेमरा थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 दुर्वेश बाबू द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचक उपरोक्त द्वारा साक्ष्य संकलन व अन्य विधिक कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 21.05.2025 को राष्ट्रीय़ ग्रामौघोग इण्टर कालेज देवा रोड के पास से अपहर्ता को बरामद किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अपहर्ता/पीड़िता का 180 बीएनएसएस की बयान हो चुका है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0-226/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हिमांशु पुत्र दिनेश कुमार निवासी-मलिकापुर मजरा पटना थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री दुर्बेश बाबू थाना चिनहट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार पासी थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. म0उ0नि0 श्री राखी सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
4. का0 रामपाल जयशवाल थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1202
दिनांक-21.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक नफर आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.05.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को अफजल नामक लड़के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 198/2025 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 20.05.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को म0उ0नि0 प्रगति देवी मय हमराही पुलिस बल के बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अफजल पुत्र मुस्तफा निवासी सागर गढी थाना अतरौली जनपद हरदोई को आज दिनांक 21.05.2025 को मय हमराही पुलिस बल के आधार खेड़ा प्लाई फैक्ट्री के पास थाना क्षेत्र गुडम्बा लखनऊसे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने का अपराध कारित किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1.अफजल पुत्र मुस्तफा निवासी सागर गढी थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र 22 वर्ष (प्लाई फैक्टरी में कार्य करता है)

04-बरामदगी:-

- पीड़िता/अपहृता

05-पीड़िता की बरामदगी एंव अभियुक्त गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. म0उ0नि0प्रगति देवी
2. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह
3. का0 अनिल कुमार
4. का0 दीपक यादव
5. का0 रितेश यादव
6. का0 संतोष कुमार